



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 385 राँची, गुरुवार,

31 जुलाई, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

31 जुलाई, 2025

संख्या-08ए0/भू०अ०नि० (वि०स०) ध्याना-38/2025-556/नि०रा०--संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय द्वारा मा०स०वि०स० श्री स्टीफन मराण्डी एवं मा०स०वि०स० श्री प्रदीप यादव के दिनांक-19.03.2025 के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के प्रसंग में आश्वासन सं०-47/2025 उपलब्ध कराया गया है। गोड्डा जिला के परैयाहाट अंचल में अडानी पावर लिमिटेड को भू-अर्जन के माध्यम से उपलब्ध कराये गए भूमि के अर्जन प्रक्रिया में RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के उलंघन की बात ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उठाया गया था ।

ध्यानाकर्षण में उठाया गया बिन्दु राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अतिरिक्त उर्जा विभाग, खान एवं भू-तत्व विभाग, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जल संसाधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं जिला प्रशासन, गोड्डा से संबंधित है। आश्वासन सं०-47/2025 के क्रम में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

1	मुख्य सचिव, झारखण्ड	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, उर्जा विभाग अथवा संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून मनोनीत प्रतिनिधि	सदस्य
3	सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	सदस्य
4	सचिव, जल संसाधन विभाग	सदस्य
5	सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	सदस्य
6	सचिव, खान एवं भू-तत्व विभाग	सदस्य
7	सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड	सदस्य
8	निदेशक, भू-अर्जन, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय	सदस्य-सचिव
9	उपायुक्त, गोड्डा	सदस्य

यह समिति आश्वासन में उठाये गए बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रामवृक्ष महतो,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
